



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल  
( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**  
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या.: प्लेक्स/सीआईआर/ 704

18 .10.2024

प्रति,

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

### **विषय: परिशिष्ट 4H प्रमाणपत्रों के इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतीकरण के संबंध में**

DGFT कार्यालय ने अग्रिम प्राधिकरण के लिए परिशिष्ट 4H प्रमाणपत्रों के इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतीकरण पर दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को व्यापार नोटिस संख्या 21/2024-25 जारी किया है

परिशिष्ट 4H भारत में विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) विनियमों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। यह अग्रिम प्राधिकरण (AA) और शुल्क-मुक्त आयात प्राधिकरण (DFIA) योजनाओं के अंतर्गत अनुमत शुल्क-मुक्त आयातित या घरेलू रूप से खरीदे गए कच्चे माल, घटकों आदि की खपत और स्टॉक का लेखा-जोखा रखने के लिए एक रजिस्टर के रूप में कार्य करता है।

AA या DFIA योजनाओं का लाभ उठाने वाले निर्यातकों के लिए सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना अनिवार्य है।

परिशिष्ट 4H में निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होती है

- आयातित या घरेलू रूप से खरीदे गए इनपुट का विवरण
- खपत की गई मात्रा और बनाए रखा गया स्टॉक
- चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा सत्यापन

हाल के दिनों में, DGFT अपनी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल सिस्टम में बदल रहा है। प्रक्रिया पुस्तिका (HBP) के पैरा 1.04(f) के अनुसार, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), कंपनी सचिव (CS) और कॉस्ट अकाउंटेंट जैसे प्रमाणन अधिकारियों द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शुरू किए जाने चाहिए।

अब, इस नोटिस के माध्यम से DGFT ने प्रमाणन अधिकारियों (यानी, CA, CS और कॉस्ट अकाउंटेंट) के लिए अग्रिम प्राधिकरण आवेदनों और DFIA (ड्यूटी-फ्री आयात प्राधिकरण) योजनाओं के लिए परिशिष्ट 4H को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए एक नई सुविधा की घोषणा की है।

व्यापार नोटिस निर्यातकों और प्रमाणन अधिकारियों दोनों के लिए वर्कफ़्लो को इंगित करता है।

निर्यातकों को DGFT वेबसाइट के माध्यम से परिशिष्ट 4H से संबंधित डेटा ऑनलाइन भरना होगा।

फिर निर्यातकों को अपने प्रमाणन प्राधिकरण को प्रमाणन प्राधिकरण के पंजीकरण नंबर के माध्यम से ऑनलाइन परिशिष्ट 4H डेटा का मसौदा भेजना चाहिए।

प्रमाणन प्राधिकरण (सीए, सीएस, लागत लेखाकार, आदि) को "प्रमाणन प्राधिकरण" श्रेणी के तहत DGFT प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना चाहिए।

एक बार जब निर्यातक DGFT वेबसाइट के माध्यम से प्रमाणन प्राधिकरण को डेटा जमा कर देता है, तो प्रमाणन प्राधिकरण अपने DGFT क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके परिशिष्ट 4H को देख और अनुमोदित कर सकता है।

प्रमाणन प्राधिकरण डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करेगा और परिशिष्ट 4H को अनुमोदित करेगा।

अनुमोदित परिशिष्ट 4H निर्यातक द्वारा देखने और डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा और अग्रिम प्राधिकरण और DFIA योजनाओं के लिए मोचन आवेदन से स्वचालित रूप से लिंक हो जाएगा।

परिशिष्ट 4H के लिए यह नई डिजिटल सुविधा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगी और अग्रिम प्राधिकरण और DFIA योजनाओं के तहत आवेदन और मोचन के लिए आवश्यक समय को कम करेगी।

विस्तृत व्यापार नोटिस निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

[https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/3a1175fa-d385-45df-93a6-14f940189658/document%20\(16\).pdf](https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/3a1175fa-d385-45df-93a6-14f940189658/document%20(16).pdf)

निर्यातकों से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान दें और आवश्यक कार्रवाई करें।

सादर अभिवादन,  
भारती पारावे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति  
प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद